छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –74 प्रकरण क्रमांक–**M-COM-2022-01695**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''समृद्ध विहार'', प्रमोटर–प्राईम डेव्हलपर्स, द्वारा–
(1) श्री निर्मल चोपड़ा, (2) श्री सतिन्दर सिंह भाटिया, (3) श्री अनिल कुमार सुराना,
(4) श्री राजेश चत्रथ, (5) श्री मिर्जा मुस्ताक बेग, (6) श्री धरमचंद भंसाली,
(7) श्री प्रेमचंद बोथरा, (8) अनुपम उपाध्याय, पता–जवाहर नगर, जिला–दुर्ग (छ.ग.)
प्रोजेक्ट–''समृद्ध विहार'' ग्राम–मोहारा, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
01/04/2024	– प्रकरण प्रस्तुत । – भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''समृद्ध विहार'' पंजीयन क्रमांक–**PCGRERA070320001104** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक–17/रेरा/2018/562, दिनाँक 28.09.2018 एवं क्रमांक–22/ रेरा/2018/676, दिनाँक 03.11.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे। जो प्राधिकरण की वेबसाईट पर सहज उपलब्ध हैं। – प्राधिकरण द्वारा सुनवाई के दौरान दिनाँक 08.08.2022 को अंतरिम आदेश पारित करते हुये अनावेदकगण को निम्नानुसार आदेशित किया गया :– 1. अनावेदक क्रमांक–1 से 7, दो माह के भीतर प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट संबंधी सभी लंबित त्रैमासिक अद्यतन, वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट वर्ष 2019–2020, 2020–2021 एवं 2021–2022 को प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड करना तथा अन्य लंबित अनुपालनों को पूर्ण करना सुनिश्चित करे। यदि अनावेदकगण द्वारा निर्धारित समयावधि में उपरोक्त आदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुये प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के पंजीयन को प्रतिसंहरित कर प्रमोटर को डिफाल्टर घोषित किया जावेगा।	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –74 | प्रकरण क्रमांक–**M-COM-2022-01695**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''समृद्ध विहार'', प्रमोटर–प्राईम डेव्हलपर्स, द्वारा–
(1) श्री निर्मल चोपड़ा, (2) श्री सतिन्दर सिंह भाटिया, (3) श्री अनिल कुमार सुराना,
(4) श्री राजेश चत्रथ, (5) श्री मिर्जा मुस्ताक बेग, (6) श्री धरमचंद भंसाली,
(7) श्री प्रेमचंद बोथरा, (8) अनुपम उपाध्याय, पता–जवाहर नगर, जिला–दुर्ग (छ.ग.)
प्रोजेक्ट–''समृद्ध विहार'' ग्राम–मोहारा, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	प्राधिकरण ने उक्त आदेश के माध्यम से अनावेदकगण को प्रोजेक्ट का त्रैमासिक अद्यतन करने तथा अन्य लंबित अनुपालनों को पूर्ण करने हेतु दो माह का समय प्रदान किया था। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों, प्रोजेक्ट से संबंधित दस्तावेजों व प्रमोटर द्वारा वेबपोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अनावेदकगण ने दिसम्बर, 2023 तक की अवधि हेतु ही त्रैमासिक अद्यतन किया है। प्रमोटर्स द्वारा ब्रोशर वेबपोर्टल पर अपलोड करते हुये वित्तीय वर्ष 2022–2023 तक वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई है। अनावेदकगण द्वारा प्राधिकरण के आदेशों का पालन किया जा चुका है। अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त संशोधित दस्तावेजों को प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनावेदकगण को अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी देते हुये प्रकरण समाप्त किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य सही/– (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	